

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल -462004  
(स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा, म.प्र. भोपाल)

क्रमांक - 515/रूसा/बजट/2016  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/11/16

परियोजना संचालक,  
परियोजना क्रियान्वयन इकाई (PIU) भोपाल

विषय :- रूसा कम्पोनेंट I- के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय का उन्नयन कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना हेतु प्राप्त राशि को उच्च शिक्षा विभाग के BCO कोड से परियोजना क्रियान्वयन इकाई BCO कोड में स्थानांतरण करने विषयक ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा रूसा कम्पोनेंट -I के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय का उन्नयन कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना हेतु पण्डित एस एन शुक्ला शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल के लिये कुल 55.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No. 24-48/2014-U-Policy (MPMulti—Gen) Government of India MHRD, Dept. of HE, (U-policy Section) New Delhi दिनांक 22.08.2016, के द्वारा उक्त अनुमोदित एवं प्रावधानित राशि में से स्वशासी महाविद्यालय शहडोल को राशि रुपये 55.00 करोड़ में से केन्द्रांश की स्वीकृत राशि 33.00 करोड़ में से (50%) के रूप में भारत सरकार की अंश राशि (60:40) राशि रुपये 16.50 करोड़ जारी की गई है। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि के विरुद्ध राज्यांश राशि 11.00 करोड़ की पात्रता है।

इस प्रकार भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि सहित राज्यांश राशि को मिलाकर कुल राशि रूपए 27.50 करोड़ आवंटित किये जाने की पात्रता है। राशि की उपलब्धता अनुसार वर्तमान में पंडित एस. एन. शुक्ला शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश को निम्न बजट शीर्ष एवं मांग संख्या अनुसार राशि आवंटित की जाती है जो निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी।


मांग संख्या	बजट शीर्ष	आहरित की जाने वाली राशि
मांग संख्या-44 (Gen)	44-2202-03-800-7600-0701-42-007	21,31,25,000
मांग संख्या-64 (S.C.)	64-2202-03-800-7600-0703-42-007	1,00,00,000
मांग संख्या-41 (S.T.)	41-2202-03-800-7600-0702-42-007	1,00,00,000
कुल योग		23,31,25,000



उपरोक्त आवंटित राशी का बजट प्रावधान BCO कोड 3802 में उपलब्ध है को परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के BCO कोड 1903 में निम्नानुसार ग्लोबल बजट शीर्ष में अंतरित की जाती है। आहरित राशी का व्यय निम्नांकित बिंदियों एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जाये।

- (1) राशि का आहरण तृतीय त्रैमास अन्तर्गत के पूर्व किया जाना है। अतः कृपया तत्काल आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (2) स्नातक महाविद्यालयों के उन्नयन कार्य हेतु कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव/प्राक्कलन परियोजना क्रियान्वयन इकाई (लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। उन्नयन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के रूसा दिशानिर्देश एवं मानदण्ड अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। प्रदत्त राशि का उपयोग स्वशासी महाविद्यालय का उन्नयन कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना के कार्य में ही किया जावे।
- (4) आहरित राशि को व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, (रूसा) भोपाल के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों ओर परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन किया जावे।
- (5) उन्नयन कार्यों में लगने वाली आवश्यक सामग्रियों का क्रय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अधीन किया जावे।
- (6) व्यय राशि एवं क्रय सामग्री का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित यथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये, ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को यथा समय उपलब्ध कराया जा सके, एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो सके।
- (7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
- (8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी की होगी।

“संचालक द्वारा अनुमोदित”

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक



1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रुसा भोपाल।
4. निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
5. अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
7. परियोजना निदेशक, (पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
8. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रुसा भोपाल।
10. अपर संचालक, (वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. बजट शाखा प्रभारी, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर बजट अपलोड की आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. सम्बंधित कोषालय अधिकारी/ उप कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आगामी अव्ययक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।
13. प्राचार्य, पंडित एस. एन. शुक्ला शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल।

अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन  
सतपुड़ा भवन भोपाल -462004  
(स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा, म.प्र. भोपाल)

क्रमांक - 547/रूसा/बजट/2016

भोपाल, दिनांक 16-11-16

प्रति,

आहरण एवं संवितरण अधिकारी

DDO Code 0523802006

कार्यालय, संचालक, उच्च शिक्षा, संचालनालय, भोपाल।

विषय :- रूसा कम्पोनेंट I के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में भारत शासन से प्राप्त केन्द्रांश राशि के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश राशि सहित राशि का आहरण किये जाने विषयक।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा रूसा कम्पोनेंट -I के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय का उन्नयन कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना हेतु पण्डित एस एन शुक्ला शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल के लिये कुल 55.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No. 24-48/2014-U-Policy (MPMulti-Gen) Government of India MHRD, Dept. of HE, (U-policy Section) New Delhi दिनांक 22.08.2016, के द्वारा उक्त अनुमोदित एवं प्रावधानित राशि में से स्वशासी महाविद्यालय शहडोल को राशि रुपये 55.00 करोड़ में से केन्द्रांश की स्वीकृत राशि 33.00 करोड़ में से (50%) के रूप में भारत सरकार की अंश राशि (60:40) राशि रुपये 16.50 करोड़ जारी की गई है। उक्त राशि राज्य शासन को प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि के विरुद्ध राज्यांश राशि 11.00 करोड़ की पात्रता है।

इस प्रकार भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि सहित राज्यांश राशि को मिलाकर कुल राशि रुपये 27.50 करोड़ राशि का आहरण कोषालय से किये जाने की पात्रता बनती है।

क्र.	मांग संख्या	आहरण हेतु पात्रता राशि	पूर्व में आहरित की गई राशि	आहरण हेतु शेष राशि	रिमांक
	1	2	3	4	5
1	44	21,31,25,000	21,31,25,000	0.00	
2	64	4,12,50,000	1,00,00,000	3,12,50,000	
3	41	2,06,25,000	1,00,00,000	1,06,25,000	
		27,50,00,000	23,31,25,000	4,18,75,000	

तृतीय त्रैमास हेतु बजट शीर्ष 44-4202-01-203-7600-45-000 में निम्नानुसार राशि का बजट प्रावधान किया गया है।

मांग संख्या-44 (Gen)	मांग संख्या-64 (S.C.)	मांग संख्या-41 (S.T.)	कुल आवंटित राशि
4,75,00,000	14,38,00,000	6,00,00,000	25,13,00,000



कोषालय से आहरित की जाने वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है जो निम्न बजट शीर्ष एवं मांग संख्या अनुसार विकलनीय होगी।


मांग संख्या	बजट शीर्ष	आहरित की जाने वाली राशि
मांग संख्या-64 (S.C.)	64-4202-01-203-7600-0702-45-000	3,12,50,000
मांग संख्या-41 (S.T.)	41-4202-01-203-7600-0703-45-000	1,06,25,000
कुल योग		4,18,75,000

(राशि रुपये चार करोड अद्वारा लाख पिछत्तर हजार मात्र)

अतः उपरोक्तानुसार राशि रुपये 4,18,75,000 (राशि रुपये चार करोड अद्वारा लाख पिछत्तर हजार मात्र) राशि का आहरण कर स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा कार्यालय के Central Bank of India के बैंक खाता संख्या:3546082969 (IFSC Code:CBIN0283312) में जमा करें तथा आहरित राशि का व्यय निम्नांकित बिन्दुओं एवं निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए किया जावे।

- (1) राशि का आहरण तृतीय त्रैमास अन्तर्गत के पूर्व किया जाना है। अतः कृपया तत्काल आहरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें।
- (2) स्नातक महाविद्यालयों के उन्नयन कार्य हेतु कराये जाने वाले कार्यों के प्रस्ताव/प्राक्कलन परियोजना क्रियान्वयन ईकाई (लोक निर्माण विभाग) के माध्यम से तकनीकी स्वीकृति के साथ प्रस्तुत किये हैं। प्राप्त प्रस्ताव, स्वीकृत प्राक्कलन, प्रदत्त प्रशासकीय एवं तकनीकी स्वीकृति के अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। उन्नयन निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
- (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के रूसा दिशानिर्देश एवं मानदण्ड अनुसार राशि व्यय की जाना सुनिश्चित करें। प्रदत्त राशि का उपयोग तालिका क्रं-2 में अंकित कार्यों में ही किया जावे।
- (4) आहरित राशि को व्यय करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, (रूसा) भोपाल के द्वारा समय समय पर जारी आदेशों, निर्देशों ओर परिपत्रों में निहित निर्देशों का पालन किया जावे
- (5) उन्नयन कार्यों में लगने वाली आवश्यक सामग्रीयों का क्रय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों एवं भण्डार क्रय नियमों के अधीन किया जावे।
- (6) व्यय राशि एवं क्रय सामग्री का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे तथा उपयोग की गई राशि का पूर्ण विवरण सहित यथा शीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें, ताकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली को यथा समय उपलब्ध कराया जा सके, एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो सके।
- (7) मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।
- (8) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों की तथा संबंधित परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी होगी।

“संचालक द्वारा अनुमोदित”

  
अपर संचालक (वित्त)  
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



पृ०क०  
प्रतिलिपि -

548 / 30 / रूसा / बजट / 2016

भोपाल, दिनांक 16-11-16

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. परियोजना संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा भोपाल।
4. निदेशक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
5. अपर सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, नई दिल्ली।
6. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
7. परियोजना निदेशक, (पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
8. समस्त अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
9. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, रूसा भोपाल।
10. अपर संचालक, ( वित्त) उच्च शिक्षा, बजट शाखा भोपाल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. बजट शाखा प्रभारी, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर बजट अपलोड की आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन मध्यप्रदेश भोपाल।

अपर संचालक (वित्त)

उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



मध्यप्रदेश स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा)  
उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश

(192, एवीएन टावर, मेजनाइन फ्लोर, जोन-1, एम.पी. नगर, भोपाल, फोन नं. 0755- 2557457)

ई-मेल : rusamphe@gmail.com

क्रमांक 558 / रूसा / 2016

दिनांक 17 / 11 / 2016

प्रति,

आयुक्त,  
कोष एवं लेखा,  
म. प्र. भोपाल

विषय :- रूसा कम्पोनेंट I- के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय का उन्नयन कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राप्त राशि को उच्च शिक्षा विभाग के BCO code 3802 से परियोजना क्रियान्वयन इकाई BCO code 1903 के ग्लोबल बजट शीर्ष में राशि आंतरित करने बाबत।


उपरोक्त विषय में लेख है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा रूसा कम्पोनेंट -I के अंतर्गत स्वशासी महाविद्यालय का उन्नयन कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना हेतु पण्डित एस एन शुक्ला शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल के लिये कुल 55.00 करोड़ की राशि की स्वीकृति एवं अनुमोदन प्राप्त हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No. 24-48/2014-U-Policy (MPMulti—Gen) Government of India MHRD, Dept. of HE, (U-policy Section) New Delhi दिनांक 22.08.2016, के द्वारा उक्त अनुमोदित एवं प्रावधानित राशि में से स्वशासी महाविद्यालय शहडोल को राशि रुपये 55.00 करोड़ में से केन्द्रांश की स्वीकृत राशि 33.00 करोड़ में से (50%) के रूप में भारत सरकार की अंश राशि (60:40) राशि रुपये 16.50 करोड़ जारी की गई है। उक्त राशि राज्य शासन को प्राप्त हो चुकी है। भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश राशि के विरुद्ध राज्यांश राशि 11.00 करोड़ की पात्रता हैं उक्त प्राप्त आवंटन की पात्रता राशि में से तृतीय त्रैमास में उपलब्ध आवंटन के अनुसार बजट शीर्ष 2202-03-800-7600-42-007 से पण्डित एस एन शुक्ला शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल का उन्नयन कर विश्वविद्यालय के रूप में स्थापना किये जाने के निर्माण कार्य हेतु परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग भोपाल को राशि रु. 23,31,25,000 (तैबीस करोड़ इकत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) उच्च शिक्षा विभाग के BCO code 3802 से परियोजना क्रियान्वयन इकाई BCO code 1903 के ग्लोबल बजट शीर्ष में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 515/रूसा/बजट/2016 दिनांक 03.11.2016 द्वारा राशि अंतरित की गई है। (प्रतिलिपि संलग्न है)


अतः आपसे अनुरोध है कि संलग्न अंतरण आदेश के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के BCO code 3802 से परियोजना क्रियान्वयन इकाई BCO code 1903 के ग्लोबल बजट शीर्ष में राशि रु. 23,31,25,000 (तैबीस करोड़ इकत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) अंतरित करने का कष्ट करें।

“संचालक द्वारा अनुमोदित”

पृ0क0 559 / 30 / रूसा / बजट / 2016  
प्रतिलिपि -

  
वित्त नियंत्रक  
स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा  
भोपाल, दिनांक

1. परियोजना निदेशक, (पी.आई.यू.) लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन, भोपाल।
2. बजट शाखा प्रभारी, उच्च शिक्षा, भोपाल की ओर बजट अपलोड की आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. कोषालय अधिकारी वल्लभ भवन मध्यप्रदेश भोपाल।
4. प्राचार्य, पण्डित एस. एन. शुक्ला शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
वित्त नियंत्रक  
स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, रूसा